भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

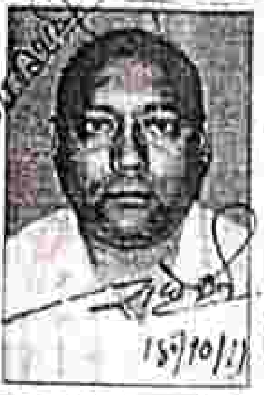

सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (च) D 678832

न्यास पत्र

यह सार्वजनिक न्यास या प्रलेख आज दिनांक 14-10-2011 को अम्बेडकरनगर मे राजेन्द्र प्रसाद तिवारी पुत्र श्री जमुना प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम पिलखॉवा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर वर्तमान पता तमसा मार्ग निकट रपटा पुल रसूलाबाद हौजपट्टी अकबरपुर अम्बेडकरनगर उ0 प्र0। जो भारत के रहने वाले है जिनको यहाँ बाद मे "सेटलर" कहाँ जायेगा। (इस शब्दो मे उनके उत्तराधिकारियो निष्पादको तथा प्रशासको को शामिल माना जायेगा जब तक कि यह शब्द वर्तमान सन्दर्भ मे उसके अर्थ के विरुद्ध न हो।) तथा 2- श्री मती मंजू तिवारी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम मिश्रौलीपुरहल्लानिजामपुर पो0 महिलीपुर जनपद-अम्बेडकरनगर वर्तमान पता तमसा मार्ग निकट रपटा पुल रसूलाबाद हौजपट्टी अकबरपुरजनपद-अम्बेडकरनगर उ0 प्र0" जिनको यहाँ बाद मे अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष कहाँ जायेगा" एक पक्ष तथा 3-शुभम तिवारी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद तिवारी पता तमसा मार्ग निकट रपटा पुल रसूलाबाद हौजपट्टी अकबरपुर अकबरपुर जनपद-अम्बेडकरनगर उ0 प्र0 4- सत्येन्द्र प्रसाद तिवारी पुत्र श्री जमुना प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम पिलखॉवा पो0 कटेहरी-परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर जनपद-अम्बेडकरनगर उ0 प्र0 5- नरेन्द्र प्रसाद तिवारी पुत्र श्री जमुना प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम पिलखॉवा पो0 कटेहरी-परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर जनपद-अम्बेडकरनगर उ0 प्र0 6- अजय कुमार पाण्डेय पुत्र श्री शिव शंकर पाण्डेय ग्राम दुर्गादास पुर मकड़ी पो0 सुल्तेपुर परगना पश्चिम राठ तहसील बीकापुर जनपद-फैजाबाद उ0 प्र0 जिनको यहाँ न्यास का सचिव कहाँ जायेगा। 7- सुरेश चन्द ओझा पुत्र स्व0 यमुना प्रसाद ओझा ग्राम समरेजपुर परगना मीरा तहसील लम्भुआ जिला -सुल्तानपुर उ0 प्र0 भारत। जो भारत के रहने वाले है जिनको यहाँ बाद मे (न्यासीगण या इस सन्दर्भ मे कुछ समय के लिए बनाये गये न्यासी तथा न्यासी गण के उत्तराधिकारी उत्तराधिकारीगण निष्पादक उसके अर्थ के विरुद्ध न हो) द्वितीय पक्ष जो सेटलर के अनुरोध पर बनने पर तैयार है।

1अ- सम्पत्ति-

सेटलर पन्द्रह हजार रुपया नगद पर न्यास की स्थापना कर रहा है। भविष्य मे दान उपहार क्रय तथा पट्टा आदि से जो भी सम्पत्ति प्राप्त होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस सार्वजनिक न्यास मे जो सम्पत्ति एक बार निहित हो जायेगी वह भी न्यास की सम्पत्ति होगी ट्रस्टी न तो बेच सकता है और न ही गिरवी रख सकता एवं न ही किराये पर दे सकता है परन्तु यह नियम सेटलर पर प्रभावी नही होगा।

ब- सेटलर परोपकारी भावना से उपरोक्त धनराशि का एक सार्वजनिक परोपकारी न्यास बनाने के इच्छुक है।

स- न्यासी गण इस न्यास के प्रथम न्यासीगण बनने को सहमत हो गये है।

द- इस लेख के पूर्वाभास के उपरोक्त 15000.00 नगद (पन्द्रह हजार) रुपया की धनराशि पहले ही इस लेख के निष्पादन के पूर्व ही न्यासी गण को स्थानान्तरित अदा एवं हस्तगत करा दिया गया है।

2 न्यास का नाम- "शारदा देवराज प0 जमुना प्रसाद तिवारी शैक्षिक एवं धर्मार्थ ट्रस्ट" रहेगा। जो कभी भी बदला नही जायेगा।

क- ट्रस्टी का तात्पर्य वर्तमान ट्रस्टीज व बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा समय-समय पर नामित ट्रस्टीज से होगा एवं किसी ट्रस्टी के मृत्यु पर यदि ट्रस्टी सेटलर की शाखा से हो तो उसका ज्येष्ठ पुत्र और यदि कोई पुरुष संतान

राजेन्द्र प्रसाद तिवारी मंजू तिवारी

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

आज दिनांक 15/10/2011 को

बही सं. 4 जिल्द सं. 20

पृष्ठ सं. 385 से 410 पर क्रमांक 26

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(हरिश्चन्द्र कुशवाहा)
उपनिबन्धक अकबरपुर
अम्बेडकरनगर
15/10/2011